

राजस्थान विधानसभा में वभिन्न विधियक पारति

चर्चा में क्यों?

17 सिंबर, 2021 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान वनियोग (संख्या-3) विधियक तथा एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधियक सहति कई विधियकों को पारति कर दिया।

प्रमुख बाढ़ि

- पारति किये गए विधियकों में राजस्थान वनियोग (संख्या-3) विधियक, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधियक, 2021, राजवित्तीय उत्तरदायत्तिव और बजट प्रबंध (संशोधन) विधियक, 2021 तथा राजस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधियक, 2021 शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकति निधि में कतपिय और राशयों के संदाय और वनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये राजस्थान वनियोग (संख्या-3) विधियक, 2021 लाया गया था।
- इस विधियक के पारति होने से 3163.26 करोड़ रुपए की राशा सिंदूरत और उपयोजिति की जा सकेगी।
- उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भवरसहि भाटी ने कहा कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर को विश्वविद्यालय बनाने से मारवाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रसार करने में मदद मिलेगी। यह विश्वविद्यालय बहु विधि वाला होगा और यहाँ इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा पहले की तरह ही संचालित होती रहेगी।
- संसदीय मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वभिन्न शर्तें लगाने की वजह से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायत्तिव और बजट प्रबंध (संशोधन) विधियक, 2021 लाया गया है।
- धारीवाल ने विधियक पर हुई चर्चा के जवाब में बताया कि विषय 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.98 प्रतशित है। वहीं केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 फीसदी से अधिक है।
- राजस्थान विधानसभा ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण विधियक रजस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधियक, 2021 को भी ध्वनित से पारति किया।
- इसके पारति होने के बाद अब पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का दुरूपयोग रूकेगा। इसमें अब जसि दिन पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी, उस दिन का जीवति प्रमाण-पत्र भी रजस्ट्री के समय देना होगा। इससे यह पता चलेगा कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी सही है या नहीं।
- धारीवाल ने बताया कि एक वर्ष से कम की अवधि के पट्टों के पंजीकरण में आमजन को अब प्रेशानी नहीं होगी। इस तरह के पंजीकरण अब ऑनलाइन भी होंगे। आमजन को सब-रजस्ट्रार के कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा।
- करियेनामे के पंजीकरण से करियेदारों का पंजीकरण भी स्वतः ही होगा। इससे उनकी पहचान हो सकेगी। करियेनामे सहति अन्य तरह से अचल संपत्ति के विवाद भी कम होंगे।